

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।

पत्र सं०

मान्यता/EM/12262-71/H/1-8

सेवा मे

प्रबन्धक, यूनिटी पब्लिक रकूल रानीगंज
अचलगंज, सिंहर्क, उन्नाव।

विषय:

आवेदित नसरी से कक्ष 8 तक की अधेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय मे प्रस्तुत नसरी से कक्ष 8 तक की अधेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता हेतु आवेदन पत्र के प्रति शासनादेश सं० 419/79-5-2013-18 [20] / 91 दिनांक 8 मई 2013 द्वारा अधेजी माध्यम के अशासकीय विद्यालयों की मान्यता हेतु निर्धारित मानकों के प्रति, शासनादेश दिनांक 8 मई 2013 मे अधेजी माध्यम की मान्यता प्रदान करने हेतु मण्डल स्तर पर प्रावधानित मंडलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 17 फरवरी 2016 मे लिये गये निर्णयानुसार यूनिटी पब्लिक रकूल रानीगंज, अचलगंज सिंहर्क उन्नाव को कक्ष 8 तक की अधेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता, निम्नलिखित प्रतिवर्णों का पालन अनिवार्य रूप से करने के आदेश के साथ प्रदान की जाती है। इन प्रतिवर्णों का उल्लंघन करने पर मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती।

विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिये संबंधित नहीं किया जायेगा।

इस अस्थाई मान्यता के प्रति किसी प्रकार का शासकीय अनुदान नहीं दिया जायेगा। विद्यालय अनुसार, स्टाफ को वेतनादाता हेतु विद्यालय स्ववित्त प्राप्ति होंगी।

विद्यालय संचालनकर्ता सोसाइटी का सोसाइटी रजिस्टर 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं निर्धारित समय पर नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा। अनिश्चयन घटन मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना, अग्नि-शमन यंत्रों के संचालन का स्टाफ को प्रशिक्षण कराया जाना तथा जलनशील/हानिकारक पदार्थों को बच्चों की पहुँच से दूर समुचित सुरक्षायुक्त कक्ष मे रखने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

नेशनल रिटिङ कोड 2005 मे प्रावधानित सुखा उपायों/मानकों को सुनिश्चित किया जायेगा तथा सु-तल वाले मवन के लिये अवर अभियन्ता तथा एक से अधिक तल वाले विद्यालय मवन के लिये सहायक अभियन्ता का भवन सुखा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

भास्तु के संकेतान मे प्रावधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय धर्म व संरक्षण समाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्मानित समितियों तथा समय समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

विद्यालय के मदन/परिसर को किसी भी दशा मे व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिये दिन व रात मे प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय की सुखा से संबंधित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेंगी। विद्यालय मदन परिसर या मैदान को किसी राजनीतिक या गैर शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रयोग मे नहीं लिया जायेगा।

विद्यालय का बाह्य रग संकेत होना चाहिये। विद्यालय की सुखा के अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी अधिकारी (खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी/जिलेधिकारी द्वारा प्राविकृत अधिकारी) द्वारा किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/महलीय/राज्य स्तरीय अथवा अन्य किसी स्थान अधिकारी द्वारा विद्यालय से संबंधित सुनाये एवं आवाय गोंगे जाने पर निर्देशानुसार प्रस्तुत करना तथा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी मदन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किसाये/लीज पर (रजिस्टर्ड किरायानाम) होना अनिवार्य है। रजिस्टर्ड किरायानाम की उक्त अवधि समाप्त होने पर पुनः कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिये किरायानाम रजिस्टर्ड कराया जाना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक कक्ष मे प्रति छात्र 9 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना/कक्ष कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट (कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था) होना अनिवार्य है। न्यूनतम मानक होत्रफल एवं छात्र संख्या का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

शिक्षण कक्षों के अतिरिक्त, प्रधान अध्यापक कक्ष, कार्यालय, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय/वाचनालय, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापक-अध्यापिकाओं के लिये पृथक पृथक शौचालय-मूत्रालय की व्यवस्था, पीने हेतु जीवाणु रक्षित स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य है।

कक्ष स्तर के अनुरूप छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें, खेलकूद का सामान, गतिविद्र, शैक्षिक बार्ट की उपलब्धता अनिवार्य है।

विद्यालय मे संचालित प्रत्येक कक्ष के लिये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर प्रख्यापित निर्देशों के अनुरूप शैक्षिक एवं प्रशिक्षण आहंतायुक्त विज्ञान/गणित/भाषा/कार्यानुभव शिक्षक-शिक्षिकाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

कक्ष नसरी से 3 के अतिरिक्त अन्य अन्य कक्षाये संचालित नहीं की जायेंगी। सभी वर्ग, घर्म, जाति के बच्चों के प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।

शिक्षण का नाम्यग अधेजी रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तकों ही पाठ्यक्रम मे चलाई जायेंगी। अमान्य पुस्तकों का प्रयोग किसी भी दशा मे नहीं किया जायेगा।

शिक्षण की पूर्ण अनुमति के बिना संख्या द्वारा कोई कक्ष अथवा अनुमान न खोला जायेगा, न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा, न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। इस मान्यता आदेश के अध्यार पर शाखा विद्यालय संचालित करना शासनादेश का उल्लंघन माना जायेगा।

विद्यालय प्रबन्ध समिति को नियुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के कम मे ३०४० नियुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 मे प्रावधानित प्रतिवर्णों का पालन करना अनिवार्य होगा।

मवदीय

(कौस्तुम कुमार सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

उन्नाव।

पृष्ठ

/2015-16 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित।

1. नियुक्त नियुक्त बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

2. महारी उच्चालय शिक्षा नियुक्त (बेसिक) बाल मण्डल लखनऊ।

3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सिंहर्क, उन्नाव।

Manager
Unity Public School
Raniganj (S. Karan) Unnao

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव।

Principal
Unity Public School
Raniganj-Unnao